उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8

संख्या

/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-14

देहरादूनः: दिनांकः: 28 मार्च, 2018 अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपिठत उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904ज) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेतर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 है।
 - (2) इन नियमों में जैसा अन्यथा विहित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

नियम 45 में संशोधन

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017(जिसे यहाँ आगे मूल नियम कहा 2. गया है) के नियम 45 के उपनियम (1) में, अंत में आने वाले "जहां ऐसा माल किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को सीधे भेजा जाता है" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

और जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से किसी दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है, वहां चालान, प्रधान या माल को किसी अन्य छटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजने वाले छटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी किया जा सकेगा:

परंतु यह कि प्रधान द्वारा जारी चालान को, उस दशा में, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए पृष्ठांकित किया जाएगा :

परंत् यह और कि छुटप्ट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा पृष्ठांकित चालान को, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए पृष्ठांकित किया जाएगा।

- "मूल नियम" के नियम 92 में, **दिनांक 01 जुलाई, 2017 से**, केवल हिन्दी पाठ में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (2) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - (2) जहाँ उचित अधिकारी या आयुक्त की यह राय हो कि प्रतिदाय की धनराशि

तुश्यक समर्थवाही करें।

उत्तराखण्ड देहराष्ट्रा

नियम 92 में संशोधन

यथास्थिति धारा 54 की उपधारा (10) या उपधारा (11) के उपबंधों के अधीन प्रतिधारित किये जाने योग्य है वहां वह उसे प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के भाग ख में ऐसे प्रतिदाय को प्रतिधारित किये जाने के कारणों को सूचित करते हुए आदेश पारित करेगा।

नियम 127 में संशोधन

4. "मूल नियम" के नियम 127 के खण्ड (चार) में केवल अंग्रेजी पाठ में शब्दावली "to furnish a performance report to the Council by the tenth", के पश्चात् शब्द "day" अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा।

नियम 129 में संशोधन

5. "मूल नियम" के नियम 129 के उपनियम (6) में, "स्थायी समिति से यथा अनुज्ञात लिखित में दिए गए कारणों द्वारा अन्वेषण पूर्ण करेगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे लिखित में दिए गए कारणों से, जो प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किए जाएं, अन्वेषण पूर्ण करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

नियम 133 में संशोधन

6. "मूल नियम" के नियम 133 के उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः :-

(4) यदि नियम 129 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट रक्षोपाय महानिदेशक की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि धारा 171 के उपबंधों का या इन नियमों का उल्लंघन हुआ है या उल्लंघन न होने की दशा में भी यदि प्राधिकरण की यह राय है कि मामले में और अन्वेषण किया जाना चाहिए या जांच की जानी चाहिए, तो वह मामले को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, रक्षोपाय महानिदेशक को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार और अन्वेषण या जांच करवाने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

नियम 134 में संशोधन

7. स्तम्भ–1 में दिए गए "मूल नियम" के वर्तमान नियम 134 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–1 एत्दद्वारा प्रतिस्थापित नियम
134. बहुमत द्वारा विनिश्चय यदि प्राधिकरण	134. विनिश्चय का बह्मत द्वारा किया जाना—
के सदस्यों की राय किसी बिंदु पर भिन्न है, बिंदु बहुमत की राय अनुसार विनिश्चित होगा	(1) प्राधिकरण की बैठकों में गणपूर्ति उसके न्यूनतम तीन सदस्यों से होगी ।
	(2) यदि किसी बिंदु पर प्राधिकरण के सदस्यों की राय भिन्न-भिन्न है तो उस बिंदु का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा।
	म, जाञ्चवा यम पूरारा या विणायक मत हागा।

नियम 137 में संशोधन

"मूल नियम" के नियम 137 के पश्चात, स्पष्टीकरण के खंड (ग) में, उपखंड ख के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

ग. नियम 128 के उपनियम (1) के अधीन ऐसा अभिकथन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या प्राप्त इनप्ट प्रत्यय कर का फायदा कीमत में अन्रूप कटौती द्वारा प्राप्तिकर्ता को नहीं दिया है।

नियम 138घ में संशोधन

9. "मूल नियम" के नियम 138घ के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2018 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, 'रेल द्वारा परिवहन किया गया'. 'माल का रेल द्वारा परिवहन किया जाना', 'माल का रेल द्वारा परिवहन' और 'रेल द्वारा माल का संचलन' पद में ऐसे मामले सम्मिलित नहीं हैं, जहां रेल द्वारा पार्सल स्थान का पट्टाकरण दिया जाता है।

> (राधा रतूड़ी) प्रमुख सचिव

सं0 288/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/ CT-14 तद्दिनांक। प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-

1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4-अपर सचिव, वित्त-८, उत्तराखण्ड शासन।

5-एन०आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेत्।

(हीरा सिंह बसेड़ा)

अन् सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No&88/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-14 dated & March, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 28/2018/4(120)/ XXVII(8)/2018/CT-14 Dehradun:: Dated:: 28 March, 2018

Notification

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 01 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2018

Short title and 1. Commencement

- (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2018.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment in 2. Rule 45

In rule 45 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the principal rules), in sub-rule (1), after the words, "where such goods are sent directly to a job worker", occurring at the end, the following shall be inserted, namely:-

",and where the goods are sent from one job worker to another job worker, the challan may be issued either by the principal or the job worker sending the goods to another job worker:

Provided that the challan issued by the principal may be endorsed by the job worker, indicating therein the quantity and description of goods where the goods are sent by one job worker to another or are returned to the principal:

Provided further that the challan endorsed by the job worker may be further endorsed by another job worker, indicating therein the quantity and description of goods where the goods are sent by one job worker to another or are returned to the principal.";



Amendment in 3. Rule 92

- 3. In rule 92 of the "Principal Rules", from 1st July, 2017, only in Hindi version, after sub-rule (1) the following sub-rule (2) shall be inserted; namely-
 - (2) Where the proper officer or the Commissioner is of the opinion that the amount of refund is liable to be withheld under the provisions of sub-section (10) or, as the case may be, sub-section (11) of section 54, he shall pass an order in part B of FORM GST RFD-07 informing him the reasons for withholding of such refund.

Amendment in 4. Rule 127

4. In rule 127 of the "Principal Rules", in clause (iv), only in English version, after the words "to furnish a performance report to the Council by the tenth", the word "day" shall be inserted.

Amendment in 5. Rule 129

5. In rule 129 of the "Principal Rules", in sub-rule (6), for the words "as allowed by the Standing Committee", the words "as may be allowed by the Authority" shall be substituted.

Amendment in 6. Rule 133

In rule 133 of the "Principal Rules", after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

(4) If the report of the Director General of Safeguards referred to in sub-rule (6) of rule 129 recommends that there is contravention or even non-contravention of the provisions of section 171 or these rules, but the Authority is of the opinion that further investigation or inquiry is called for in the matter, it may, for reasons to be recorded in writing, refer the matter to the Director General of Safeguards to cause further investigation or inquiry in accordance with the provisions of the Act and these rules.

Amendment in 7. Rule 134

In rule 134 of the "Principal Rules", for the rule set out in column-1, the rule set out in column-2 shall be substituted; namely-

1, 111 1011 1011 1011 1011 1011 1011 10	
Column-1	Column-2
Exiting Rule	Hereby Substituted Rule
134. Decision to be taken by the majority	134. Decision to be taken by the majority-(1)
If the Members of the Authority differ in opinion	A minimum of three members of the Authority
on any point, the point shall be decided according	shall constitute quorum at its meetings.
to the opinion of the majority.	
	(2) If the Members of the Authority differ in
a a	their opinion on any point, the point shall be
	decided according to the opinion of the
	majority of the members present and voting,
*	and in the event of equality of votes, the
	Chairman shall have the second or casting
	vote.";



Amendment in 8. Rule 137

In rule 137 of the "Principal Rules", after rule 137, in the *Explanation*, in clause (c), after sub-clause b, the following sub-clause shall be inserted, namely: - c. any other person alleging, under sub-rule (1) of rule 128, that a registered person has not passed on the benefit of reduction in the rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction

Amendment in 9.]

in prices.";

In rule 138D of the "Principal Rules", with effect from the 1st day of April, 2018, after the rule, the following Explanation shall be inserted, namely:-

Explanation. - For the purposes of this Chapter, the expressions 'transported by railways', 'transportation of goods by railways', 'transport of goods by rail' and 'movement of goods by rail' does not include cases where leasing of parcel space by Railways takes place.

Rule 138D

(Radha Raturi) Principal Secretary